दिनांक 23 जून 2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

## लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय भूखंड के हितग्राहियों सहित अधिक से अधिक लोगों को फ्री होल्ड का मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग , मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 8-1 दिनांक 2 जनवरी 2019 तथा विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2018 के अनुसार नगरीय निकायों तथा पूर्व विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं के अधिपत्य के 30 वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित/ व्यवस्थापित आवासीय भूखंड/ भवन को संबंधित नगरीय निकाय को राजस्व विभाग से विधिवत भूस्वामित्व प्राप्त होने पर फ्री होल्ड के रूप में संपरिवर्तित करने की स्वैच्छिक स्वीकृति प्रदान की गई है! इसलिए अपने अनुविभाग क्षेत्र अंतर्गत 30 वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित/ व्यवस्थापित आवासीय भूखंड हितग्राहियों का फ्री होल्ड के रूप में संपरिवर्तित करने हेतु सर्वप्रथम जन सामान्य की जानकारी/सुविधा हेतु कार्यालय के सूचना बोर्ड पर छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर द्वारा जारी आदेश संपरिवर्तित का नियम व शर्तें तथा लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड अधिकार में संपरिवर्तित हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप का समस्त जोन क्षेत्रों के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी के द्वारा प्रकाशन कराया जाना है! तत्पश्चात नियम अनुसार आवेदन प्राप्त कर आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन सहित मुख्य कार्यालय के राजस्व/संपदा विभाग को आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना है जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ्री होल्ड का लाभ मिल सके!

**जल है तो कल है जल ही जीवन है!**